न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 358/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
इमामदीन पुत्र रफीक जाति मुसलमान नि. किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
– वादी

बनाम्

1 रफीक पुत्र स्व. मुराद अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
2 मन्जुरा पुत्री स्व. मुराद अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
3 रहमत अली पुत्र स्व. शरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
4 कुरेशा पुत्री स्व. शरीफ जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
5 तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री महावीर बैरड़ – वकील वादी
2. श्री कुलदीप मूण्ड – वकील प्रति.सं. 1 ता 4

निर्णय

दिनांक :– 13.11.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के स्व. पिता के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 91/44 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 0.5018 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिष्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी के पक्ष में बंटवारा अनुसार कर दिया। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से है वादी इमामदीन पुत्र रफीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 91/44 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 0.5018 है. कृषि भूमि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 4 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से उक्त कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण, प्रतिवादी सं. 2 को विधिक वारिसान होने के कारण, प्रतिवादी सं. 3 व 4 को मृतक शरीफ पुत्र मोहम्मददीन का वारिस होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 5 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के स्व. पिता के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 91/44 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 0.5018 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतक शरीफ पुत्र मोहम्मददीन का नाम कतमून किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश क़र वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी इमामदीन ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 8 एमएमके के खाता संख्या 91/44 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 की जमाबन्दी पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं क़रना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के स्व. पिता के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 91/44 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 0.5018 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 8 एम.एम.के. जमाबन्दी पेश की गई है जिसके आधार

सहायक कलक्टर एवं
खण्ड अधिकारी
संगरिया

पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के स्व. पिता के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 91/44 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में आराजी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के स्व. पिता के नाम से चक 8 एम.एम.के. खाता सं. 91/44 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 0.5018 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतक शरीफ पुत्र मोहम्मददीन का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया